


# कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान- बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

श्री जेठाराम बागड़िया, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भदाणा (नागौर) को वित्त विभाग आदेश क्रमांक एफ.6(6) एफ.डी./रुल्स/2010 दिनांक 25.04.12 के प्रावधानान्तर्गत एवं राजकीय चिकित्सालय, नागौर द्वारा जारी प्रमाण पत्र संख्या 263 Date: 23-03-2009 की अभिशंषा पर आवेदन दिनांक 29.07.2020 से इनके मूल वेतन का 6%(प्रतिशत) जो रू0 600/- (छःसौ रूपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है ।

श्री जेठाराम बागड़िया, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भदाणा (नागौर) को (आकस्मिक अवकाश, राजपत्रित अवकाश को छोड़कर ) अवकाश काल, कार्यभार सम्भालने हेतु मिलने वाले समय एवं निलम्बन के समय विकलांग वाहन भत्ता देय नही होगा ।


  
(सौरभ स्वामी)  
आई.ए.एस  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्थों/ए-2-7/विकलांग भत्ता/2017

दिनांक: 03-09-2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक,समग्र शिक्षा, नागौर।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भदाणा (नागौर)
3. रजिस्टर्ड- श्री जेठाराम बागड़िया, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भदाणा (नागौर) को मूल विकलांग प्रमाण पत्र सहित प्रेषित।
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड हेतु
5. निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर